भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2826
उत्तर देने की तारीख 12.12.2024

एमएसएमई के लिए वित्तीय समावेशन

2826. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय समावेशन में सुधार करने के उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में मुद्रा और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदान की गई ऋण सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं से लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): देश में एमएसएमई के लिए वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

(i) एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से देश में गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह स्कीम परियोजना लागत की 15% से 35% तक सरकारी सब्सिडी की सहायता सहित विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत 50 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 20 लाख रुपये तक के नए सूक्ष्म उद्यमों को संस्थागत वित्त तक पहुंच प्रदान करती है। मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा उद्यमों को उन्नयन और विस्तार के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 1.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत और सेवा क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक की दूसरी ऋण सहायता भी प्रदान की जाती है। दूसरे ऋण के लिए पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

(ii) एमएसई के लिए ऋण गारंटी स्कीम: सीजीएसएमएसई के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से, एमएसई को विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 85% तक के गारंटी कवरेज के साथ 500 लाख रुपये (दिनांक 01.04.2023 से) की सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं।

(iii) एनएसएसएच स्कीम के विशेष ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) घटक के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्रों और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रमुख ऋणदाता संस्था (पीएलआई) से सावधि ऋण के माध्यम से अ.जा.-अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई को नए संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण की खरीद करने के लिए 25% सब्सिडी (25 लाख रुपये की सब्सिडी सीमा) प्रदान की जाती है, जिस पर बैंक/वित्तीय संस्थान व्यवसाय ऋण दे रहे हैं।

(iv) प्रधान मंत्री मुद्रा स्कीम (पीएमएमवाई) विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं, कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे आय सृजन क्रियाकलापों के लिए सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को 20 लाख रुपये तक के संस्थागत वित्त तक पहुंच प्रदान करती है।

(v) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।

(vi) संपार्श्विक आवश्यकताएँ: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपये तक के ऋण के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार न करने का अधिदेश दिया गया है।

(vii) ऋण निर्णयों के लिए समय-सीमा: एमएसई उधारकर्ताओं की इकाइयों को 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, बैंकों को सलाह दिया जाता है कि ऋण निर्णयों के लिए समय-सीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) एवं (ग): दक्षिणी राज्यों में मुद्रा एवं पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रदान की गई ऋण सहायता और लाभान्वित उद्यमों की संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): भारतीय रिजर्व बैंक ने 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण वितरण' पर बैंकों को सूक्ष्म इकाइयों के लिए 1 करोड़ रुपये तक के ऋण हेतु एक सरलीकृत आवेदन सह-स्वीकृति-फॉर्म (जो क्षेत्रीय भाषा में भी मुद्रित होना चाहिए) तैयार करने की सलाह दी है।

****

अनुबंध -I

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2826 के भाग (ख) एवं (ग) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध -I

विगत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 09.12.2024 तक) में दक्षिणी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमईजीपी के अंतर्गत उद्यमों को प्रदान की गई ऋण सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 09.12.2024 तक) के दौरान दक्षिण-क्षेत्र में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत ऋण (लाख रु. में)	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	25,040.24	1,744	8,922.03
2	कर्नाटक	9,561.08	1,027	3,446.06
3	केरल	6,203.00	904	2,241.47
4	तमिलनाडु	12,627.01	1,316	4,480.33
5	तेलंगाना	8,822.89	675	3,103.07

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दक्षिण क्षेत्र में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन:

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत ऋण (लाख रु. में)	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	41,428.49	4,721	14,682.84
2	कर्नाटक	32,720.58	3,196	11,714.28
3	केरल	18,805.40	2,764	6,709.11
4	तमिलनाडु	47,790.55	5,259	16,943.45
5	तेलंगाना	26,012.13	1,903	9,073.13

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दक्षिण क्षेत्र में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन:

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत ऋण (लाख रु. में)	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	31,132.05	2,497	11,147.15
2	कर्नाटक	34,440.51	4,012	12,499.74
3	केरल	18,035.76	2,644	6,508.04
4	तमिलनाडु	43,963.59	4,879	15,813.22
5	तेलंगाना	24,924.92	2,023	8,891.18

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दक्षिण क्षेत्र में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन:

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत ऋण (लाख रु. में)	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	एमएम सब्सिडी (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	24,626.13	2,009	8,840.95
2	कर्नाटक	34,787.51	4,357	12,656.43
3	केरल	16,658.38	2,287	5,979.10
4	तमिलनाडु	39,869.10	4,916	14,516.28
5	तेलंगाना	23,330.73	2,272	8,488.42

स्कीम के शुभारंभ से दिनांक 01.11.2024 तक दक्षिणी राज्यों में मुद्रा के माध्यम से प्रदान की गई ऋण सहायता का विवरण:

क्र.सं.	राज्य	ऋण खातों की सं. (करोड़ में)	संवितरित ऋण (लाख करोड़ रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	0.97	1.10
2.	कर्नाटक	4.81	2.86
3.	केरल	1.63	1.10
4.	तमिलनाडु	5.67	3.09
5.	तेलंगाना	0.73	0.67